

न्यायालय श्री मान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सार्किट कोर्ट
 R. 5108-के 115 रीवा (म0प्र0)

25



- 1- चन्द्रदेव अग्निहोत्री तनय स्व0 उमाशंकर अग्निहोत्री उम्र 46वर्ष पेशा खेती
- 2- इस्टदेव अग्निहोत्री तनय स्व0 उमाशंकर अग्निहोत्री उम्र 41वर्ष पेशा खेती
- 3- महेश प्रसाद तनय स्व0 गया प्रसाद उम्र 72 वर्ष पेशा खेती
- 4- राजेन्द्र प्रसाद तनय अनिरुद्ध प्रसाद उम्र 57 वर्ष पेशा खेती व पेन्सनर
- 5- विद्युत भूषण तनय अनिरुद्ध प्रसाद ब्रा0 उम्र 53 वर्ष पेशा नौकरी
- 6- शशिधर प्रसाद तनय अनिरुद्ध प्रसाद उम्र 51 वर्ष पेशा खेती

सभी निवासी ग्राम मौदहा तह0 विरसिंहपुर जिला सतना हाल निवासी
 टटिहरा तह0 रायपुर कर्चु0 जिला रीवा (म0प्र0) —— निगरानीकर्तागण

बनाम

जयराम तनय शंभू लोहार उम्र 55 वर्ष पेशा खेती सा0 ग्राम मौदहा तह0 विरसिंहपुर
 जिला सतना म0प्र0 —— गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय
 रीवा के प्रक0 क्रमांक 1584/अपील/2011-12
 में पारित आदेश दिनांक 20/8/15

अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन्
 1959ई0

मान्यवर

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैः—

1-- यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आंशिक आदेश विधि व प्रक्रिया के विरुद्ध

होने से काबिल निरस्तगी है।

2-- यह कि निगरानीकर्तागण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन
 पत्र अन्तर्गत धारा 32 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के तहत प्रस्तुत कर
 गैरनिगरानीकर्ता/अपीलार्थी द्वारा प्रकरण में पेश विक्रय टीप सम्बत वदी
 10 सम्बत 2017 की तिथि अंकित करते हुए अलग-अलग विक्रय टीप
 फर्जी व कूटरचित रूप में विक्रय टीप तैयार कर न्यायालय के साथ छल
 कपट कर धोखा देकर फर्जी व गलत कागज को सही के रूप में स्वयं के

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-गवालियर

(२५)

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/5108/दो/15

(६-१८०१)

चन्द्रदेव बनाम जयराम

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

20-06-18

रीवा कैम्प

आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। यह प्रकरण वर्ष 2015
से लंबित है आवेदक द्वारा कायमी पर भी आज दिनांक तक तर्क प्रस्तुत
नहीं किये गये हैं प्रकरण को चलाने में आवेदक की कोई रुचि परिलक्षित
नहीं होती है अतः प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।

मम/20/6/18
सदस्य